फर्द अहकाम

नाम न्यायालय AC-II नानगराम बनाम निखिल गुप्ता वगै.

केस संख्या दावा-106/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	Com:-	कोई कानून प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वादी द्वारा एक प्रा.पत्र 06R17 प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है की वादी उक्त प्रा.पत्र के माध्यम से केवल वादपत्र के वादांश के प्रावधान को संशोधित कराना चाहता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर वादी की बहस सुनी गई तथा प्रा.पत्र 06R17 में लिखे कथनों को पढ़ते हुए ध्यान दिया कि उक्त संशोधन वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक है और वाद का वाद इस आधार पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और वाद की कुलवाद का क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। बहुलाप परीक्षण बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते पेश करने कानूनन आदेश दिनांक 12/09/24 को पेश हो।	
		Chuff सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर	
	12/09/24	पत्रावली पेश हुई। बहुलाप परीक्षण उप०। पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया तथा प्रा.पत्र आदेश 6 नियम 17 व प्रतिवादी का प्रा.पत्र धारा 151 का अवलोकन किया गया। वादपत्र के अवलोकन एवम् बहुलाप परीक्षण की बहस व प्रस्तुत कानूनी नजीर का अध्ययन करने के पश्चात -- जारी	

Contd

Chuff
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner